उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–1
संख्या : 21/2024/1703/94-1-2024-312(136)/2023
लखनऊ, दिनांक : 03 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा-संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 और 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से-

(1) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए जिला फिरोजाबाद में एक नया निबन्धन उप-जिला ''सिरसागंज'' सृजित करते हैं, तथा

(2) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को निबन्धन उप-जिला 'शिकोहाबाद' से अपवर्जित करते हुए निबन्धन उप-जिला 'सिरसागंज' में सम्मिलित कर निबन्धन उप-जिला 'शिकोहाबाद' की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं-

अनुसूची

जिला फिरोजाबाद के निबन्धन उप-जिला 'शिकोहाबाद' से अपवर्जित कर जिला फिरोजाबाद के नवसृजित निबन्धन उप-जिला ''सिरसागंज'' में सम्मिलित किये गये राजस्व ग्रामों की सूची-

1	गुढ़ा	2	मुबारकपुर गुढा	3	आलीपुर
4	गढसान	5	गढरौली	6	कछपुरा
7	गढ़ी डुडपुर	8	अवावकरपुर	9	गोसपुर
10	नगला रामा	11	फतेहपुर नसीरपुर	12	सलेमपुर चक
13	मुहम्मदपुर नादई	14	पटना कर्खा	15	आटेपुर
16	असलेमपुर नगला कान्हर	17	बाबेमऊ	18	जैमतपुर
19	बाजीदपुर	20	दौलतपुर कर्खा	21	पिड़राव
22	इशहाकपुर	23	लौहरई	24	धौनई
25	नायन	26	परिहारमऊ	27	ढकरई
28	फतहपुर चंदरई	29	वलीपुर	30	मुजफ्फरपुर
31	उजरई	32	नगला दिलशाह	33	जहाँनाबाद वीरई
34	जायमई	35	विठोली	36	वाछेमई
37	लहटई	38	अरांव खुर्द	39	जाफरपुर
40	नगला तोड	41	नगला वल्ल	42	टोडसी
43	खौडई	44	उरावर हस्तर्फ	45	परियर
46	बड़ौरा	47	नगला तुला	48	पुनन्छा
49	उरावर मड़वा	50	भदान	51	उखरेण्ड
52	चिरहुली	53	गुराऊ	54	एलमपुर
55	सेमरा अतीकाबाद	56	खौंडई अजनौरा	57	गनपतिपुर
58	बछेला बछेली	59	कठफोरी	60	खेडा खुर्द
61	तिलियानी	62	माहदपुर	63	आमौर नं० जीवन
64	पटसुइ नं० मीर	65	दरगापुर अंगदपुर	66	सुरजपुर दुगमई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

67	कौरारा खुर्द	68	शेरपुर मदनपुर	69	एदलपुर
70	मदनपुर	71	सिरसागंज	72	ऊमरी
73	अहमदपुर	74	भावली	75	अफजलपुर इमलिया
76	मलापुर शाहजहाँपुर	77	सराय मुरलीधर	78	लुधावली
79	सेंदपुर	80	केसरी	81	डडियामई
82	दुधरई	83	कटोरी	84	कटोरा बुजुर्ग
85	औरंगाबाद	86	स्यारमऊ रामलाल	87	खितौली
88	स्यारमऊ हरगनपुर	89	जलालपुर	90	कुतुकपुर शेरपुर
91	खटुआमई	92	उजरई खेडा	93	लखनई
94	एमालखनई	95	लखनपुर	96	भँडरई
97	जहाँगीपुर	98	नानेमऊ	99	शेरपुर कुतुकपुर
100	सलेमपुर कर्खा	101	रजौरा	102	सरूपपुर
103	मई गदोखर	104	कोंरारी	105	गलपुरा
106	आलमपुर झपटा	107	सुजनीपुर	108	रूचनमानिकपुर
109	नगरिया	110	करहरा	111	सोथरा
112	कीठौत	113	सराय लुकमान	114	सींगेमई
115	किसरॉव	116	सराय हैवतपुर	117	जगमुदी
118	महिबुल्लापुर कैरावली	119	सूरजपुर सोथरा	120	कारीखेड़ा
121	घुडिया टीकुर	122	ढकपुरा	123	शहजादपुर
124	फकरपुर	125	रूधेमई	126	शेखूपुर
127	शेरपुर अफजलपुर	128	अकबरपुर सराय	129	बहादुरपुर
130	कुढीना	131	नगला हाल	132	कपरावली
133	खेरिया मसाहत	134	ताखा	135	पीथेपुर
136	सड़ैया	137	भनूपुरा	138	सरसौली
139	इब्राहीम सरसौली	140	सैफपुर	141	मलूपुरा
142	भारौल	143	पिड़सरा	144	सिरौलिया
145	बामई	146	राहतपुर	147	सकतपुर
148	सैजनी	149	आजमावाद अरॉव	150	पैगू
151	सारख	152	बैजुआ खास	153	कमरपुर बैजुआ
154	सैनावली	155	दौलतपुर बैजुआ	156	मु० हुसैनपुर बैजुआ
157	हाजीपुर बैजुआ	158	गुरइया सोयलपुर	159	दरगापुर भारौल
160	कवीरपुर	161	असवाई	162	नगला मदारी
163	भदेसरा	164	धरमई	165	सराय भरथरा
166	धातरी	167	रूधैनी		

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 21/2024/1703/94-1-2024-312(136)/2023 दिनांक : 03 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त (स्टाम्प), उत्तर प्रदेश लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 21/2024/1703/94-1-2024-312(136)/2023 दिनांक : 03 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् , उ०प्र० लखनऊ।
6. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
7. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबन्धक, फिरोजाबाद।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, आगरा मण्डल, आगरा।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, फिरोजाबाद।
12. विधायी अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp evam Registration Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 21/2024/1703/94-1-2024-312(136)/2023 dated : 03 December, 2024.

Notification

No. 21/2024/1703/94-1-2024-312(136)/2023
Lucknow; Dated : 03 December, 2024

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) , as amended in its application to the State of Uttar Pradesh ,read with section 21 of the General clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, is pleased to,-

(1) create a new registration sub-district "Sirsaganj" in district Firozabad by including revenue villages given in Schedule below; and

(2) alter the limits of registration sub-district "Shikohabad" by excluding the areas of revenue villages from Shikohabad and including the same in registration sub-district 'Sirsaganj' given in Schedule

Schedule

List of revenue villages excluded from registration sub-district Shikohabad of district Firozabad and included in newly created registration sub-district 'Sirsaganj' of district Firozabad

1	Gudha	2	Mubarakpur	3	Aalipur
4	Gadshan	5	Gadrauli	6	Kachpura
7	Gadhi Dundpur	8	Avavakarpur	9	Gashapur
10	Nagla Rama	11	Fatehpur Nasirpur	12	Salempur Chak
13	Muhammadpur Nadai	14	Patna	15	Aatepur
16	Aslempur Nagla Kanhar	17	Babemau	18	Jaimatpur
19	Bajeedpur	20	Dhaulatpur Karkha	21	Pidraow
22	Ishakpur	23	Lauhrai	24	Dhaunai
25	Nayan	26	Pariharmau	27	Dhakrai
28	Phatepur Chandrai	29	Walipur	30	Mujjafarpur
31	Ujarai	32	Nagla Dilshah	33	Jahanabad
34	Jaymai	35	Vithauli	36	Bachemai
37	Lahtai	38	Araow Khurd	39	Jafarpur
40	Nagla Tod	41	Nagla Ball	42	Toudshi
43	Khaudai	44	Urawer Hastarf	45	Pariyar
46	Badaura	47	Nagla Tula	48	Punanchha
49	Urawer Madwa	50	Bhadan	51	Ukhrend
52	Chirhuli	53	Gurau	54	Elampur
55	Semara Ateekabad	56	Khaudai Ajnaura	57	Ganpatipur
58	Bchela Bcheli	59	Kathafori	60	Kheda Khurda
61	Tiliyani	62	Mahadpur	63	Amaur Nagla Jeevau

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

64	Patsui Nagla Meer	65	Dragapur Angadpur	66	Sorajpur Dugmai
67	Khaurara Khuradha	68	Sherpur Madanpur	69	Elaumpur
70	Madanpur	71	Sirsaganj	72	Umari
73	Ahmadpur	74	Bhawali	75	Afajalpur Emailiya
76	Malahapur Shahjahanpur	77	Saray Murlidhar	78	Ludhawali
79	Saidalpur	80	Kesari	81	Dadiyamai
82	Dudhari	83	Katauri	84	Kataura Bujarag
85	Aurangabad	86	Syarmau Ramlal	87	Khitauli
88	Syarmau Harganpur	89	Jalalpur	90	Kutakapur Sherpur
91	Kahatuamai	92	Ujarai Khedha	93	Lakhnai
94	Emalakhanai	95	Lakhanpur	96	Bhandrai
97	Jhageerpur	98	Nanemau	99	Sherpur Kutakpur
100	Salempur Kharkha	101	Rajaura	102	Ruriya Sarooppur
103	Mai Gadokhar	104	Kaurari	105	Galpura
106	Alampur Jhapta	107	Sujnipur	108	Ruchanmanikpur
109	Nagriya	110	Karahara	111	Sothara
112	Ithauta	113	Saray Lukaman	114	Seegemai
115	Kisraow	116	Saray Havetpur	117	Jagmudi
118	Mahibullapur Karawali	119	Sorajpur Sothara	120	Kari Khadha
121	Gudiya Tikura	122	Dhakpura	123	Shahjadpur
124	Fakarpur	125	Rudhemai	126	Shekhopur
127	Sherpur Afjalpur	128	Akbarpur Sraya	129	Bhadurpur
130	Kudheena	131	Nagla Hal	132	Kaprawali
133	Kheriyamashahat	134	Takha	135	Pitepur
136	Saraiya	137	Bhanoopura	138	Sarsauli
139	Ebrahimpur Sarsauli	140	Saifpur	141	Malopura
142	Bharaul	143	Pidasra	144	Sirauliya
145	Bamai	146	Rahtpur	147	Sakatpur
148	Sajani	149	Ajmabad Araow	150	Paighu
151	Sarakh	152	Bajuaa Khasha	153	Kamarpur Bajuaa
154	Sainawali	155	Daulatpur Bajuaa	156	Muhammadpur Husainpur Bajuaa
157	Hajipur Bajuaa	158	Guraiya Soyalpur	159	Dragapur Bharaul
160	Kaveerpur	161	Aswai	162	Nagla Madari
163	Bhadesra	164	Dharmai	165	Saray Bharthara
166	Dhatri	167	Rudhaini		

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding which has already commenced or is pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।